ISSN 2278-8808 SJIF 2014 = 4.889
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

भारत में मानवाधिकारों का संवैधानिक विश्लेषण
(एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोंण)

Laxmi, Ph. D.
Associate Professor – Department Of Sociology
M S J Government (P.G.) College Bharatpur; Rajasthan

Abstract

भारतीय सन्दर्भ में मानवाधिकार' मानव सभ्यता के साथ ही जनित है। पश्चिमी तथा पूर्वी सभ्यताओं में लम्बे समय तक ये किसी अन्य रूप में विद्यमान रहे हैं।' मानवाधिकार को ***भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा*** *कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत का संविधान' अधिकांश मानव अधिकारों को अपने आप में समेटे हुए है तथा उपनिवेशी शासन के शोषण से ग्रस्त एवं तृस्त जनता को राहत प्रदान करने हेतु भारत के संविधान निर्माताओं ने उन्हें सभी तरह की स्वतंत्रताएँ तथा अधिकार स्वतः ही प्रदान कर दिए।*

पारिभाषिक शब्दावली: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, संविधान, मानवाधिकार आयोग, हित संरक्षण।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शोध पद्धतिः प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति के अनुरूप अनुसंधित्सु द्वारा ऐतिहासिक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन हेतु पूर्ण रूपेण द्वैतीयक श्रोतों का चुनााव किया गया है।

विवेचनाः

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गयी है। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं समृद्धि के लिये कार्यशक्तियॉ तथा जॉच– प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए अक्टूबर 1993 में 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' की स्थापना की गयी।

आयोग का गठन :

(1) मानवाधिकार राष्ट्रीय आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे–

(क) **अध्यक्षः** जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो,

(ख) **एक सदस्यः** (उच्चतम न्यायालय का वर्तमान या निवर्तमान न्यायाधीश)

(ग) **एक सदस्यः** (उच्च न्यायालय का वर्तमान या निवर्तमान न्यायाधीश)

(घ) **दो सदस्यः** जिनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जायेगी जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों का ज्ञान हो या उनमें व्यावहारिक अनुभव हो।

(2) **तीन पदेन सदस्यः** (निम्नलिखित आयोगों के अध्यक्ष) होंगे–

(क) अल्पसंख्यकों के लिये राष्ट्रीय आयोग,

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग,

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग।

(3) **एक महासचिवः** होगा जो आयोग का कार्यपालक होगा।

(4) मानवाधिकार राष्ट्रीय आयोग का मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा तथा मानवाधिकार आयोग भारत की केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से भारत में अन्य स्थानों पर भी विभिन्न कार्यालयों को स्थापित करेगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ और कार्य :

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियॉ और कार्य निम्नलिखित हैं–

(1) किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने से या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गयी याचिका का मानवाधिकार के उल्लंघन के परिवाद या उसके दुष्प्रेरण या लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा के परिवाद की जॉच करेगा। आयोग के पास जॉच करने के लिए कर्मचारी होंगे इसके अतिरिक्त इस कार्य को सुगम बनाने के लिए आयोग के पास व्यक्तियों के प्रोण, स्वतन्त्रता, समानता तथा मानवीय गरिमा, जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत (गारन्टी प्रदान करना) हैं तथा सिविल तथा राजनीतिक अधिकार और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में समाविष्ट हैं, से सम्बन्धित मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में दोषी उलंघनकर्ता के परिवार से जॉच करते समय केन्द्रीय अभिकरणों तथा राज्यों के अभिकरणों की सहायता प्राप्त करने की शक्ति होगी।

(2) जनसाधारण के हित में किन्हीं अथवा किसी अन्य कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, जिन्हें वह मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझता है।

(3) न्यायालय के समक्ष लम्बित मानवाधिकारों के दुरूपयोग के आरोपों को सम्मिलित करने वाले किसी कार्यवाही में ऐसे न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करने की शक्ति होगी।

(4) राज्य सरकार को सूचना देकर उसके नियन्त्रणाधीन किसी कारागार या किसी अन्य संस्थान में जा सकता है जहॉ व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए निरूद्ध किये जाते हैं या रखे जाते हैं। आयोग को यह अधिकार अन्तर्वासियों की जीवन–दशा का अध्ययन करने तथा उसके सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए प्रदान किया गया है।

(5) मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा तथा उसमें अभिवृद्धि करेगा।

(6) आतंकवाद की कार्यवाही तथा अन्य कारणों को पुनर्विलोकन करेगा, जो किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों तथा तत्समय प्रवृत्त संरक्षणों को प्रतिषिद्ध करता है और इस सम्बन्ध में समुचित सिफारिश करेगा।

(7) मानवाधिकार के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान या अन्य किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित संरक्षणों को पुनरावलोकन तथा समीक्षा करेगा और उसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए सिफारिश भी करेगा।

इस प्रकार मानवाधिकार आयोग की परिधि में जनहित के वे सभी कार्य आ जाते हैं जो किसी न किसी रूप में मानव अधिकारों से जुड़े हुए हैं। मानवाधिकार आयोग का कार्य केवल मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना ही नहीं है अपितु मानवाधिकारों के प्रति जनसाधारण में चेतना जाग्रत करना तथा इस क्षेत्र में कार्यरत समस्याओं को प्रोत्साहित करना भी है। मानवाधिकारों की उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर आयोग उनकी जॉच करता है और प्रभावी कार्यवाही करता है।

मानवाधिकारों के उलंघन की शिकायतों की जाँच प्रक्रिया :

मानवाधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी किसी शिकायत में जॉच के दौरान आयोग अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत निम्नांकित से सूचना या रिपोर्ट की मॉग कर सकता है–

(क) केन्द्र सरकार; (ख) राज्य सरकार;

(ग) किसी प्राधिकार; तथा (घ) संगठन;

यदि इनके (उपरोक्त) द्वारा विनिर्दिष्ट समय में सूचना या रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो मानवाधिकार आयोग उस पर आगे कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा। यदि ऐसी सूचना या सम्बन्धित प्रतिवेदन/(रिपोर्ट) यथासमय प्रस्तुत कर दी जाती है और ऐसी सूचना या रिपोर्ट से आयोग का यह समाधान हो जाता है कि–

(1) अब आगे और जॉच की आवश्यकता नहीं है; अथवा है;

(2) यदि सरकार या प्राधिकारी द्वारा वांछनीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है; तो आयोग आगे कार्यवाही नहीं करेगा तथा परिवादी को इस आशय की सूचना देगा। लेकिन इस सभी के उपरान्त भी यदि मानवाधिकार आयोग मामले को दृष्टिगत रखते हुए आगे पर्यवेक्षण तथा जॉच करना उचित समझता है, तो वह ऐसा कर सकेगा।

जब आयोग द्वारा किसी परिवाद या शिकायत विशेष में उलंघनकर्ता की जॉच पूरी हो जाती है तब भारतीय संविधान की धारा 18 के अन्तर्गत आयोग निम्नलिखित कदम उठा सकता है–

(1) जहॉ जॉच मानव अधिकारों का उल्लंघन करने को या किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा को प्रकट करती है, तो वह सरकार या प्राधिकारों को अभियोजन की कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्यवाही प्रारम्भ करने की सिफारिश करेगा जिसे मानवाधिकार आयोग सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध उचित समझेगा।

(2) उच्चतम न्यायालय या सम्बन्धित उच्च न्यायालय में ऐसे निर्देश, आदेश या याचिका के लिए जायेगा जो वह (शिकायतकर्ता) जिस भी न्यायालय उचित समझेगा।

(3) पीड़ित या उसके परिवार के सदस्य को ऐसी तुरन्त राहत, जिसे मानवाधिकार आयोग आवश्यक समझेगा, प्रदान करने हेतु सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी से सिफारिश करेगा।

वर्तमान में बालकों के मानवाधिकारों पर ध्यान देना दिनोंदिन जरूरी होता जा रहा है। सरकार ने सन् 1975 में 'समन्वित बाल विकास सेवा' नामक योजना चलाई, सन् 1975 में ही ऑगनबाड़ी 'बालवाड़ी' योजना शुरू की गई सन् 1993–94 में 'राष्ट्रीय शिशु सदन कोष' बनाया गया। बालश्रम के उन्मूलन और प्रत्येक बच्चे को उसके विकास के लिए समुचित स्थितियॉ प्रदान करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है क्योंकि बाल श्रमिकों का खुला शोषण तथा उत्पीड़न हो रहा है। भारत ने बच्चों के अधिकारों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतेः 1989 पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के परिणामस्वरूप वह **'राष्ट्रीय बाल घोषणा–पत्र'** अस्तित्व में आया जिसे 9 फरवरी, 2004 के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग अपने अस्तित्व को आकार देने में सक्षम है। इसके अलावा बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना के मसौदे का काम भी प्रगति पर है। विशिष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और बच्चों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कुछ ऐसे कदम हैं जिनकी तारीफ की जा सकती है किन्तु बाल उत्पीड़न तथा बाल श्रम निषिद्ध अधिनियमों का खुला उलंघन एक बड़ी चुनौती है।

राज्य मानवाधिकार आयोग :

मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जिस तरह केन्द्र में राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था है उसी प्रकार राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है ताकि मानवाधिकारों का अधिक से अधिक संरक्षण किया जा सके। मानवाधिकार आयोग अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार मानवाधिकार आयोग का गठन करेगा उसे (राज्य का नाम) मानवाधिकार आयोग के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष के लिए वह व्यक्ति पात्र होगा जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो राज्य मानवाधिकार आयोग में 4 सदस्य निम्न प्रकार होंगे–

एक सदस्यः जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, **दूसराः** सदस्य वह व्यक्ति होगा जो कि राज्य में जिला न्यायाधीश हो या रह चुका हो, तथा अन्य दो सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानवाधिकारों से सम्बन्धित वि ायों का ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो। आयोग में एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो उसे प्रत्यायोजित किये जायेंगे।

आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर विनिर्दिष्ट किया जाये। राज्य मानवाधिकार आयोगों की जॉच अधिकारिता संविधान की सातवीं अनुसूची लिस्ट (द्वितीय) एवं (तृतीय) में वर्णित विषयों तक ही सीमित रखी गयी है।

भारत के संविधान में मानवाधिकार[5]

क्रम	मानवाधिकार अनुच्छेद	भारतीय संविधान कानून	विषय
1	7	14	कानून के समक्ष बराबरी
2	7(2)	15(1)	जन्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं।
3	21(2)	16(1)	सार्वजनिक संस्थानों में नौकरी के समान अवसर।
4	19, 20(1) 20(2), 24(4)	19(1)	अभिव्यक्ति, सभा करने, संघ बनाने की आजादी।
5	11(1), 11(2)	20(1)	दोष प्रमाणित होने से पूर्व निर्दोष माने जाने का अधिकार तथा ऐसे कार्यों के लिए सजा पाने से सुरक्षा जो उस कार्य को करने के समय कानून में अपराध न हो।
6	3, 9	21	जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा।
7	4	23(1)	मनुष्य के व्यापार पर तथा मनुष्य से जबरन काम कराने पर प्रतिबन्ध।
8	18	25(1)	किसी भी धर्म में विश्वास करने तथा प्रचार करने की आजादी।
9	22	29(1)	अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा तथा सुरक्षा।
10	26(3)	30(1)	अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार।
11	8	32, 226	अधिकारों के हनन के संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार।
12	5	330, 331	उत्पीड़न विरोधी व्यवस्था।
13	10	कानूनी संवैधानिक	न्यायोचित एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
14	17	कानूनी संवैधानिक	सम्पत्ति रखने का अधिकार।
15	21	कानूनी संवैधानिक	सरकार में प्रत्यक्ष या प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार/वयस्क मताधिकार द्वारा सरकार बनाने का अधिकार।

भारत के संविधान में शामिल न हो पाने वाले मानवाधिकार[6]

क्रम	मानवाधिकार अनुच्छेद	भारतीय संविधान कानून	विषय
1	22	ग	सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, आर्थिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हों।
2	33	ग	कार्य का अधिकार, उचित मजदूरी का अधिकार।
3	25	ग	ऐसे जीवन स्तर का अधिकार जो व्यक्ति के लिए आवश्यक हो– घर, भोजन, कपड़ा।
4	26	ग	शिक्षा का अधिकार (उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में)

निष्कर्षः निःसन्देह; मानव अधिकारों का जन्म; पृथ्वी पर मानव के विकास के साथ ही हुआ। इन अधिकारों के बिना न तो वह गरिमा के साथ जीवनयापन कर सकता था और न ही उसकी सभ्यता और संस्कृति का विकास सम्भव था। इसके साथ ही मानव अधिकारों के दमन का सिलसिला भी तभी से आरम्भ हो गया थ। शक्तिशाली व्यक्ति या समूह, दूसरों का शोषण करके अपना वर्चस्व कायम रख सकते थे और उन्होंने यही किया भी। पिछले पॉच हजार वर्षों में एक ओर वर्चस्व का स्वरूप बदला है तो दूसरी ओर मानव अधिकारों को नए सिरे से पुनः पुनः परिभाषित करने की अवधारणा भी बलवती हुई है। मानव समाज में जटिलता आने के साथ– साथ नए–नए मानव अधिकारों का अस्तित्व भी सामने आया है। 25 सितम्बर सन् 1926 से पूर्व मानव अधिकार मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर के विषय रहे परन्तु उसके बाद यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय बन गया। तब से अब तक मानव अधिकारों को समझने और उनके प्रति विश्व प्रतिबद्धता की घोषणा करने का क्रम अद्यतन जारी है।

REFERENCES:

Johari J.C. ; International Politics, Laxmi Narain Agrawal Pub., Agra, 2010, p. 205.

Johari Jai Chand ; (2010) International Politics, Laxmi Narain Agrawal Publications, Agra, p. 205.

Bhanot J. Kumar ; (1998) Human Rights in Educational perspective, Published Research Paper "Samajic Sahyog" Quarterly National Research Journal, Ank (37), p. 62-66.

Prasad Beni (et.al.) (2003) Human Rights: A Basic need for personality Development & Life, Vivek Prakashan, Delhi, p. 108.

Shah Asha Kumari ; (2012) Human Rights and Vedic Sanskrit, SBPT Publications, Agra, p. 171.